

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-137/2018/ 4208/दो-2-2018-28/2(1)/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018
आदेश

श्री लोकेश कुमार, से0नि0 पी0सी0एस0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-67006 में कुल जमा धनराशि के सापेक्षा 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री लोकेश कुमार, से0नि0, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-284/62192/1157/81703, दिनांक 19-11-2018 के अनुसार वर्ष 2014-2015 तक कुल जमा धनराशि रू0-31,36,585/- (रू0-इक्तीस लाख छत्तीस हजार पांच सौ पच्चासी मात्र) जिसमें माह 3/15 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-28,22,926.50 अर्थात् रू0-28,22,927.00 (रूपये अट्ठाईस लाख बाईस हजार नौ सौ सत्ताइस मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री लोकेश कुमार के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री लोकेश कुमार, से0नि0, पी0सी0एस0, तत्कालीन अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ जवाहर भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- श्री लोकेश कुमार, पी0सी0एस0, सेवानिवृत्त, पता-ए-7, शालीमार इम्पीरियल, 13 गोखले मार्ग, लखनऊ, पिन-226001 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।